न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0नं0 — 38 / 2024
अनवान : —

1. राजपाल पुत्र खुवराम जाति जाट निवासी उदराण त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. खुवराम पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी उदराण तहसील भादरा।
2. रविता पुत्री खुवराम जाति जाट निवासी उदराण त0 भादरा।
3. सुमन पत्नी स्व0 राजदीप पुत्र खुवराम जाति जाट निवासी उदराण त0 भादरा।
4. मोहिल पुत्र स्व0 राजदीप नावालिगान जरिये वली कुदरती माता सुमन पत्नी स्व0 राजदीप पुत्र खुवराम जाति जाट निवासी उदराण त0 भादरा।
5. दिव्या स्व0 राजदीप नावालिगान जरिये वली कुदरती माता सुमन पत्नी स्व0 राजदीप पुत्र खुवराम जाति जाट निवासी उदराण त0 भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये त0 तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बावत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री विरेन्द्र जाखड़ वादी
श्री तरूण मिश्रा प्रतिवादी

दिनांक: 29/1/25

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 3 एएमएस के खाता सं0 18 / 15 की कुल 6.022है0 प्रतिवादी सं0 1 खुवराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति—रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 6 की ओर से जवाब पेश किया गया। ... साक्ष्य प्रस्तुत किया गया व प्रस्तुत साक्ष्य वादी में वादी राजपाल द्वारा मुख्य परीक्षा प्रस्तुत ... दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.07 11:47:19 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि रोही मौजा चक 3 एएमएस के खाता सं0 18 / 15 की कुल 6.022है0 प्रतिवादी सं0 1 खुवराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है।

जिसमें प्रतिवादी सं0 1 खुबराम के साथ साथ वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 3 एएमएस के खाता सं0 18/15 की कुल 6.022है0 प्रतिवादी सं0 1 खुबराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ–साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 के वादी व प्रतिवादी सं0 2 व मृतक स्व0 राजदीप के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक 3 एएमएस के खाता सं0 18/15 की कुल 6.022है0 प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 खुबराम अकेले की बजाए वादी राजपाल 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 खुबराम 1/4 हिस्सा प्रतिवादीया सं0 2 रविता 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 3 सुमन पत्नी स्व0 राजदीप प्रतिवादी सं0 4 मोहित प्रतिवादी सं0 5 दिव्या को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/1/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.07 11:47:19 IST
Reason: SelfAttested